

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट**  
**प्रथम श्रेणी, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 556 / 2016  
संस्थान दिनांक 17.09.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी  
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियोगी

विरुद्ध

मदन पिता अनसिंह, आयु 40 वर्ष,  
निवासी-ग्राम मुजाल्दापुरा कांकरिया,  
थाना-ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री विशाल कर्मा. अधिवक्ता ।

/// निर्णय ///

**(आज दिनांक 10.10.2017 को घोषित)**

**01.** पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 176 / 2016 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 25.05.2016 को समय रात्रि करीब 01:00 बजे के लगभग ग्राम मुजाल्दापुरा कांकरिया में फरियादी के घर पर फरियादी का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में धारा 354 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

**02.** प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी द्वारा राजीनामा करने के आधार पर आरोपी को भा.द.सं. की धारा 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया ।

**03.** अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.16 को फरियादिया अपने पति और दो पुत्रों के साथ घर के आंगन में सो गई थी। रात्रि लगभग 01:00 बजे बगल में रहने वाला आरोपी बुरी नियत से उसकी खटियां के पास आया तथा उसे जगाने लगा तो उसकी नींद खुल गई उसने सोचा कि उसका पति होगा। नींद ज्यादा थी इसलिये वह नहीं उठ सकी। कुछ देर बार आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर जगाने की कोशिश की तो वह उठकर खड़ी हो गयी देखा कि आरोपी था जो बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खिचने लगा। उसने अपने पति और दोनों

बेटों को अवाज देकर उठाया तो आरोपी ने जान से मार देने की धमकी दी। उसके पति ने आरोपी को पकड़ लिया तो आरोपी छुड़ाकर भाग गया। सुबह फरियादिया ने इस घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर दर्ज करायी गई। घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/2016 अंतर्गत धारा 354, 506 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने फरियादी की निशांदैही पर घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षी फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**04.** अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

**05.** प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.05.2016 को समय समय रात्रि करीब 01:00 बजे के लगभग ग्राम मुजाल्दापुरा कांकरिया में नाले के पास फरियादी का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

### साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

**6.** फरियादी (अ.सा.1) का कथन है कि लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 9-10 बजे वह उसका पति तथा दोनों पुत्र घर के आंगन में सो गये थे। जब वह नींद में थी। जब किसी व्यक्ति ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ा था और खींच के ले जा रहा था। उसके चिल्लाने पर वह व्यक्ति हाथ छोड़कर भाग गया था उसने अपने पति और पुत्रों को उठाकर उन्हें घटना बताई। साक्षी का यह भी कथन है कि आंधेरा होने के कारण वह हाथ पकड़ने वाले व्यक्तियों को नहीं देख पाई उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी जो प्रदर्श पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 का घटना स्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि घटना की रात आरोपी ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर खींचा था। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट और पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में आरोपी का नाम लिखाने से स्पष्ट इंकार किया। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया लेकिन, इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा होने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने लोगों के बताने से आरोपी का नाम रंजिश के कारण लिखाया था।

07. रामू (अ.सा.2) ने भी केवल उसकी पत्नी का हाथ किसी व्यक्ति द्वारा पकड़कर खींचने के संबंध में कथन किये हैं। इस साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना की रात उसकी पत्नी का हाथ बुरी नियत से पकड़कर खींचा था। साक्षी ने सुझाव से भी इंकार किया कि उसने आरोपी को पकड़ लिया था। यहा तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-4 के कथन में भी आरोपी का नाम बताने से इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके उठने के पहले ही वह व्यक्ति भाग गया था।

08. के.आर. भालसे (अ.सा.3) का कथन है कि उसने दिनांक 25.05.2016 को थाना ठीकरी में फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/16 प्रदर्श पी-1 का दर्ज किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादिया की निशांदाही से नक्श मौका प्रदर्श पी-2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादिया और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि फरियादिया ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट और प्रदर्श पी-3 के कथन में आरोपी का नाम नहीं लिखाया था।

09. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण की फरियादिया ने आरोपी से राजीनामा किया तथा उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में फरियादी के पक्ष विरोधी रहने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

10. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी मदन पिता अनसिंह को भा.द.सं. की धारा 354 के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है। आरोपी के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जप्त संपत्ति नहीं है।

11. आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 381/11 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध जितेन्द्र) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- जितेन्द्र पिता काशीराम, आयु 19 वर्ष,  
निवासी-ग्राम घट्टी, तहसील ठीकरी,  
जिला बड़वानी (म.प्र.)

गिरफ्तारी का दिनांक :- 21.07.2011

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त निरंक अवधि तक रहा है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म०प्र०